स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 216, दिनांक 21–07–2024

अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड एंव प्रोपर्टी के कागजात तैयार करके, विभिन्न बैंको से लोन लेकर बैंको के साथ करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी।

दिनांक 21–07–2024 को एसटीएफ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड एंव प्रोपर्टी के कागजात तैयार करके विभिन्न बैंको से लोन लेकर बैंको के साथ करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अभिषेक शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा निवासी 35 माधव एन्क्लेव कालोनी, करकेटा, आगरा।

2– शुभम तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी निवासी 21/183 कृष्णा कालोनी, जीवनी मंडी, आगरा।

3– अरूण पाराशर पुत्र शिवनाथ पाराशर निवासी 45/34 एफ नगला अजीता, सेक्टर–08, जनपद आगरा ।

बरामदगी :

1– 01 अदद स्विफ्ट कार (यूपी–13–एवी–4663)
(जो मु0अ0स0 151/24 धारा 403/405/419/464/420/478/471/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर से सम्बन्धित है)

2– 04 अदद मोबाइल

3– 06 अदद कूटरचित आधार कार्ड (जिनका प्रयोग लोन लेने में किया गया है, जो जनपद सहारनपुर के उक्त अभियोग से सम्बन्धित है)

गिरफ्तारी का दिनांक/ समय/स्थान–

दिनांकः 21–07–2024, समयः लगभग 01.11 बजे, स्थानः रूनकता पुल के पास, थाना सिकन्दरा, जनपद आगरा क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि उच्चाधिकारीगण के निर्देशों के अनुपालन में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के शिकायती प्रार्थना पत्र (जिसमें अभियुक्तों द्वारा अभिलेखों का कूटकरण कर बैंक से धोखाधड़ी करके लोन लेने के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं) की जॉच एस0टी0एफ0 द्वारा की जा रही थी। इसी अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एस0टी0एफ0 नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन एंव आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अभिषेक एवं शुभम दिनांक 20–07–2024 को जनपद आगरा में भैया जी (जिसका असली नाम अरूण है, जो धोखाधड़ी के मामले में थाना हरिपर्वत आगरा से जेल जा चुका है) से मिलेंगे। तत्पश्चात उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी, एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की गयी तो ज्ञात हुआ कि इसी प्रकरण में अभियुक्त मुनीर एवं शिवम गुप्ता के विरूद्व थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 151/24 धारा 403/405/420/464/478/471/120बी भादवि का अभियोग दर्ज है। तदोपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा उपरोक्त सूचना से इस अभियोग के विवेचक को अवगत कराकर जनपद आगरा आने के लिए कहा गया। इसके पश्चात एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम के उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी को भ्रमणशील रहते हुए पुनः मुखबिर द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त व्यक्ति स्विफ्ट गाडी नम्बर 13एवी–4663 से घूम रहे हैं, तथा लोकेशन के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस के सहयोग से रूकनकता पुल के पास, थाना सिकन्दरा आगरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। जिनसे उपरोक्त बरादमगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अरूण पाराशर ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और उसने एम0बी0ए0 किया है। बताया कि वह वर्ष 2005 से 2014 के बीच पर्सनल लोन कराने वाली विभिन्न कम्पनियों एवं लाइफ इन्श्योरेन्स कराने वाली कम्पनी जैसे, सनलाइट एसोसिएट आगरा, आई0आई0एच0सी0 कम्पनी, भारतीय एक्सा जीवन बीमा कम्पनी तथा बिरला सनलाइट कम्पनी में काम कर चुका है। अभियुक्त अरूण पाराशर ने बताया कि वह वर्ष 2014 से होम लोन, प्रोपर्टी लोन, बैंक लोन आदि कराने के लिए एजेन्ट के तौर पर काम करने लगा था। अभियुक्त अरूण पाराशर ने बताया कि लॉकडाउन के बाद संजय पैलेस, आगरा में संदीप नाम का व्यक्ति, (जिसको वह पूर्व से जानता था) जो आगरा में फोटोशॉप का काम करता था। संदीप ने ही उसको आईसीआईसीआई बैंक आगरा के टीम लीड़र से मिलवाया था, जिनके साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर होम लोन, प्रोपर्टी के कागजात बनाकर प्रोपर्टी लोन का काम किया था और इसी दौरान वह एस0टी0एफ0 यूनिट आगरा के द्वारा पकड़ा गया था और हरिपर्वत थाने से मु0अ0स0 337/24 धारा 409/420/467/468/471/120बी भादवि में जेल गया था। जेल से छूटने के बाद अभियुक्त अरूण पाराशर पुनः अपने सहयोगी शुभम तिवारी एवं अभिषेक शर्मा (जिनको वह पहले से जानता था) के साथ मिलकर कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रोपर्टी लोन कराने के काम में संलिप्त हो गया। इस बीच अभियुक्त अरूण पाराशर का सम्पर्क मुनीर आलम, जो जनपद सहारनपुर के आईसीआईसीआई ब्रॉच का टीम लीडर था, से हो गया था फिर मुनीर आलम को भी अभियुक्त अरूण पाराशर ने इस काम के लिए राजी कर लिया था। इसके बाद अभियुक्त अरूण पाराशर आदि द्वारा जनपद सहारनपुर की आईसीआईसीआई ब्रॉच में पॉच कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 4.60 करोड़ रूपये का लोन करा दिया गया था। इसी प्रकार से अरूण पाराशर आदि ने एच0डी0एफ0सी0 बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक में भी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर होम लोन एवं प्रोपर्टी लोन करा लिया तथा अन्य फाइले भी लगा रखी है, जिनकी जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त अभिषेक शर्मा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 30 साल है और उसने बी0एस0सी0 किया हुआ है। बताया कि वह तथा शुभम तिवारी एक साथ पढा है। इसके बाद अभियुक्त अभिषेक शर्मा एवं शुभत तिवारी, संजय पैलेस, आगरा में कार लोन पास कराने के लिए

कमीशन के आधार पर काम करने लगे थे। अभियुक्त अभिषेक शर्मा एवं शुभम तिवारी भी अभियुक्त अरूण पाराशर के साथ मिलकर कूटररचित दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से फर्जी लोन कराने के काम में शामिल हो गये थे।

अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि हमारे द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके बैंक एकाउन्ट खोले गये, जिसमें लोन का पैसा जमा कराके कैश निकाला गया तथा इन पैसो से विभिन्न नामों से रूनकता, आगरा में कई प्रोपर्टी खरीदी गयी है।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 151/24 धारा 403/405/419/420/464/478/471/120बी भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————